भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3831
दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

बांग्लादेशियों की अवैध बसावट

†3831. श्री नितेश गंगा देबः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में बांग्लादेशियों की अवैध बसावटों में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 2014 से ऐसी अवैध बसावटों और यहां के निवासियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या इन लोगों के पास संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड और अन्य कागजात हैं;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अवैध बसावटों के निवासियों की पहचान कर ली है और उनके प्रत्यर्पण हेतु कोई रोडमैप बनाया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ड.): बांग्लादेशी राष्ट्रिकों सहित अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने, उन्हें निरूद्ध और निर्वासित करना एक सतत प्रक्रिया है। विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) और 3 (2)(ड.) के तहत अवैध आप्रवासियों का पता लगाने, उन्हें निरूद्ध और निर्वासित करने के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियां भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भी निदेश दिया गया है कि वे अवैध रूप से

रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने, उन्हें निरूद्ध और निर्वासित करने से संबंधित केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करें।

गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किये हैं, जिसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है कि अवैध प्रवासियों को कोई आधार कार्ड जारी न हो। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे अवैध प्रवासियों द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से प्राप्त किये गए पहचान संबंधी दस्तावेज़ों जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि को रद्द करें।

चूँकि, अवैध आप्रवासी गुप्त रूप से और चोरी-छिपे बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज़ के देश में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए देश में रह रहे ऐसे आप्रवासियों की संख्या के संबंध में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*****